आज लखनऊ, रविवार २५ अक्तूबर, २०२६, सौर ८ कार्तिक, सं. २०८३ वि.

सुभाषित अपने स्वत्व और अधिकारोंकी रक्षाके लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अन्यायका प्रतिकार आवश्यक है। पलायन नहीं, पुरुषार्थका चयन करना चाहिए। ❑ भीष्म पर्व

चीनका फिर दुस्साहस

यह गम्भीर चिन्ताका विषय है कि अरुणाचलमें चीनसे लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गतिरोध अब भी जारी है। इसकी आधिकारिक रूपसे पुष्टि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीटी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूरने की है। उन्होंने गुरुवारको स्वीकार किया कि अरुणाचल प्रदेशमें भारतीय और चीनी सैनिकोंके बीच कई स्थानोंपर जुलाईसे जारी तनावकी स्थिति अब भी बनी हुई है। भारत-चीनके सैनिकोंके बीच जुलाईके आखिरमें जिस इलाकेमें आमना-सामना हुआ था, वह बेहद संवेदनशील है। यह अरुणाचल प्रदेशके ऊपरी सुबनसिरी जिलेमें स्थित ताकसिंग-माजा-असफिला सेक्टर है जो भारतकी अग्रिम चौकियों, सैनिकोंकी आवाजाही और सीमापर नियंत्रणसे जुड़ा है। यह पूरा इलाका भारतके लिए बेहद अहम है, क्योंकि ताकसिंग पहुंचने वाली तामा चुंग चुंग-ताकसिंग सड़क सैनिकों, रसद और रक्षा सामग्रीके लिए कठिन पहाड़ी भू-भाग और खराब मौसमके कारण क्षेत्रमें सड़क सम्पर्क मजबूत होना सैन्य तैयारियोंका मजबूत हिस्सा है। इसीलिए चीनकी गिद्ध दृष्टि इस क्षेत्रपर टिकी हुई है, क्योंकि भारत इस क्षेत्रमें मजबूत स्थितिमें है जिससे तनाव बना हुआ है। हालांकि परराष्ट्र मंत्रालयने इस बारेमें स्थिति साफ नहीं की है लेकिन आईटीबीपी महानिदेशकके टकरावके दावेको खारिज भी नहीं किया है। परराष्ट्र मंत्रालयके प्रवक्ताने सफाई देते हुए इतना जरूर कहा है कि जब चीनी सेना गश्तके पहलेसे तय तौर-तरीकोंसे पीछे हटती है तो सीमावर्ती क्षेत्रोंमें स्थिति समय-समयपर बिगड़ जाती है। यह स्थिति भारत और चीन दोनों देशोंके हितोंके लिए शुभ संकेत नहीं है। चीनकी ये हरकतें उसका दुस्साहस है जिसे किसी भी रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि वर्तमानमें भारतीय सीमामें अनेक निर्माण चल रहे हैं। खासकर जरूरी सड़कोंका निर्माण तेजीसे हो रहा है, ऐसेमें चीनकी सक्रियता कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। भारतको पूरी तरह सतर्क रहनेकी जरूरत है और हर स्थितिसे कड़ाईके साथ निबटना होगा। यह विडम्बना ही है कि चीन एक ओर भारतसे दोस्तीकी बात करता है और सहयोगका इरादा रखता है, वहीं दूसरी ओर टकरावकी साजिशें भी रचता है जो उसकी कथनी और करनीको उजागर करता है। द्विपक्षीय सम्बन्धोंके समग्र विकासके लिए सीमावर्ती क्षेत्रोंमें शान्ति और स्थिरता बनाये रखना दोनों देशोंके हितमें है। चीन कभी भी भारतके लिए विश्वसनीय नहीं रहा, इसलिए भारतको फूंक-फूंकर कदम रखना होगा। इस मुद्देपर देशके अन्दर किसी भी प्रकारकी राजनीति नहीं होनी चाहिए।

सुरक्षा मानकोंकी उपेक्षा

बिहारके सिवान जिलेमें पटाखा बनाते समय हुए भीषण विस्फोटने एक बार फिर शासन-प्रशासनकी कार्यप्रणालीपर गम्भीर सवाल खड़े कर दिये हैं। इस हादसेमें आठ लोगोंकी मौतकी आशंका है। विस्फोट इतना भयावह था कि दो मंजिला मकान ढह गया और घरसे करीब दो सौ मीटरकी दूरीतक शवोंके टुकड़े गिरे पड़े थे। तेज धमाकोंकी आवाजसे पूरे इलाकेमें दहशत फैल गयी और लोग जान बचानेके लिए इधर-उधर भागने लगे। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्थामें सम्भावित लापरवाहीका भयावह उदाहरण है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाओंके बाद ही प्रशासनकी नींद क्यों खुलती है? पटाखोंका निर्माण अत्यन्त जोखिमभरा काम है। इसके लिए वैध अनुमति, सुरक्षित भण्डारण, अग्निशमनकी व्यवस्था और निर्धारित मानकोंका पालन आवश्यक है, लेकिन सतत और मजबूत निगरानी तंत्रके अभावमें निर्धारित मानक दम तोड़ देते हैं। क्या नियमित निरीक्षणकी व्यवस्था केवल कागजोंतक सीमित है। देशके विभिन्न हिस्सोंमें पटाखा कारखानोंमें विस्फोट और आग लगनेकी घटनाएं अब आम हो गयी है। हर घटनाके बाद जांच मुआवजे, काररवाई और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनेके आश्वासन दिये जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। नतीजा यह है कि लापरवाहीकी कीमत आम लोगोंको अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। उन अधिकारियोंकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी पटाखा निर्माण और विस्फोटक सामग्रीके भण्डारणपर निगरानी रखना है। शासन-प्रशासनको हादसोंके बाद सक्रिय होनेकी जगह पहलेसे सतर्क रहना होगा। नियमित निरीक्षण, अवैध इकाइयोंपर कठोर काररवाई और सुरक्षा मानकोंका सख्तीसे पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। मृतकोंके प्रति सच्ची संवेदना तभी होगी जब ऐसी घटनाओंकी पुनरावृत्ति रोकनेके लिए मजबूत निगरानी तंत्रके साथ ही सम्बन्धित अधिकारियोंकी जवाबदेही तय होगी।

लोक संवाद

महिलाओंके लिए स्थान

महोदय,-कोचीनमें एक कॉन्फ्रेंसके दौरान, एक सुन्नी धर्मगुरुने कथित तौरपर कहा कि उनके धार्मिक ग्रंथ महिलाओंको घरके अन्दर रहनेकी सीख देते हैं और उन्हें सार्वजनिक जगहोंपर लानेसे भारी तबाही मच सकती है। मैंने घबराहटमें बाहर देखा। हर तरफ औरतें ही औरतें थीं। एक महिला बस चला रही थी। दूसरी सर्जरी कर रही थी। तीसरी अदालतमें केस लड़ रही थी। कई औरतें बच्चोंको पढ़ा रही थीं, कम्पनियां चला रही थीं, हवाई जहाज उड़ा रही थीं और जिलोंका प्रशासन संभाल रही थीं। सदियोंसे औरतें बराबरीका इनसान माने जानेके मामूली अधिकारके लिए संघर्ष कर रही हैं। फिर भी, जब भी वे आगे बढ़ती हैं, कोई न कोई धार्मिक किताब उठाता है, उसमेंसे अपनी सुविधाका एक वाक्य निकालता है और उनपर थोप देता है। उस किताबको शायद ही कभी उसके संदर्भको समझनेके लिए खोला जाता है। उसका इस्तेमाल बस एक ईंटकी तरह किया जाता है। पुराने जमानेके कई नियम ऐसे समाजोंमें बने थे, जहां जिन्दगी बिल्कुल अलग थी। पुरुष शिकार करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, खतरनाक इलाकोंसे गुजरते थे और घरसे बाहर रहकर कमाते थे। औरतें आम तौरपर बच्चोंकी सुरक्षा करती थीं और घर संभालती थीं। वे नियम उस दौरके हालातके हिसाबसे थे। लेकिन आज लड़ाइयां सैटेलाइट, कम्प्यूटर, इंटेलिजेंस और टैक्नोलॉजीसे लड़ी जाती हैं। औरतें सेनामें सेवा देती हैं, हवाई जहाज उड़ाती हैं, मिसाइलें डिजाइन करती हैं और सरकारें चलाती हैं। अब शारीरिक ताकत यह तय नहीं करती कि समाजमें कौन योगदान दे सकता है। दिमाग तय करता है। शायद यही बात कुछ पुरुषोंको डराती है। एक पढ़ी-लिखी औरत सवाल कर सकती है। एक आजाद औरत अन्यायके खिलाफ आवाज उठा सकती है। एक आत्मविश्वाससे भरी औरत यह पूछ सकती है कि जो पुरुष उसे धर्मग्रंथोंका हवाला दे रहा है, उसने कभी उन बातोंका जिक्र क्यों नहीं किया, जिनमें दया, न्याय, विनम्रता और संयम बरतनेकी सीख दी गयी है। धर्मको लोगोंको ऊपर उठाना चाहिए, न कि उन्हें कमरोंमें बंद करना चाहिए। हर धर्ममें सम्मान, करुणा और न्यायके बारेमें सुन्दर बातें कही गयी हैं। लेकिन जब धर्मग्रंथोंको उनके संदर्भसे अलग करके पुरुषोंके विशेषाधिकारको बनाये रखनेके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इससे धर्म मजबूत नहीं होता। इससे धर्म ऐसा लगने लगता है जैसे वह ज्यादती करने वालोंका साथ दे रहा हो। ऐसी बातें इसलिए भी खतरनाक हैं क्योंकि ये उन परिवारोंपर असर डालती हैं, जहां शिक्षा कम है। एक कंट्रोल करने वाला पति इन्हें सुनकर सोचता है कि उसके बर्तावको परमात्माकी मंजूरी मिल गयी है। एक डरी हुई बेटीको पढ़ाईसे रोक दिया जाता है। एक काबिल पत्नीको काम करनेसे रोका जाता है। जुल्मको अचानक धार्मिक भाषा मिल जाती है। यदि महिलाओंके सार्वजनिक जगहोंपर आनेसे भारी तबाही होती है तो शायद जो चीज तबाह हो रही है, वह समाज नहीं, बल्कि पुरुषोंका दबदबा है। और प्यारे पाठको, यह तबाही तो जश्न मनाने लायक हो सकती है। तो सज्जनों, महिलाओंको घरपर रहनेके लिए कहनेसे पहले, याद रखें कि आपकी जान बचाने वाला डाक्टर, आपके अधिकारोंकी रक्षा करने वाला जज या आपका प्लेन उड़ाने वाला पायलट कोई महिला हो सकती है और यदि इससे भी आपको परेशानी होती है तो शायद आपको ही घरपर रहना चाहिए। **-दिलशाद बेगम, वाया ईमेल।**

सियासी दलोंको सर्वोच्च संदेश

सुप्रीम कोर्टने साफ कर दिया है कि वह राजनीतिक दलोंकी सत्ताको लेकर चल रही मारामारीके बीच अखाड़ा नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कायदे-कानून और संविधानके दायरेमें रहकर ही काम करेगा। यह संदेश सुप्रीम कोर्टने तमाम राजनीतिक दलोंको दिया, जो सर्वोच्च न्यायालयके जरिये राजनीतिक फायदा उठानेका प्रयास कर रहे हैं।

❑ योगेन्द्र

सुप्रीम कोर्टके बारेमें कोई गलतफहमी या अफवाह फैले, इससे पहले ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांतने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए पत्रकार वार्ता आयोजित की। सीजेआईने यह कदम इसलिए उठाया कि नेता कहीं बातका बतंगड़ नहीं बना दे और उसमें सुप्रीम कोर्टको इसमें नहीं घसीट लें। लोकसभामें विपक्षके नेता राहुल गांधी और राज्यसभामें विपक्षके नेता मल्लिकार्जुन खरगेने प्रधान न्यायाधीशको पत्र लिखकर मुलाकातका समय मांगा था कि वे उन्हें एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे, जिसमें वोट चोरी रोकने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारके इस्तीफे, मतदाता सूचीके एसआईआरको रोकने और पुन: मतपत्र प्रणालीपर लौटनेकी मांग की गयी थी। सुप्रीम कोर्टके मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांतने यह मांग यह कहते हुए ठुकरा दी कि यदि सुनवाई चाहते हो तो रिट याचिका दायर करो। सीजेआईने राहुल गांधीके आधिकारिक ईमेलके जवाबमें कहा कि इस तरहकी मुलाकात उचित नहीं होगी, क्योंकि जिन मुद्दोंपर चर्चाकी मांग की गयी है, वे पहलेसे ही सुप्रीम कोर्टमें विचाराधीन हैं।

इसीके साथ सीजेआईने दूरदर्शिता अपनाते हुए अगले ही दिन प्रेस कांफ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट कर दी, ताकि राजनीतिक दल उसकी बातोंका गलत मतलब नहीं निकाल पायें और सुप्रीम कोर्टको राजनीतिक विवादमें नहीं घसीट सकें। सीजेआई सूर्यकांतने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक व्यवस्थाके तहत सुप्रीम कोर्ट, प्रशासनिक स्तरपर सरकारके कामकाजमें दखल नहीं दे सकता, हालांकि नेताओंको अपने मौलिक अधिकारोंकी रक्षाके लिए न्यायिक पक्षमें अदालतका दरवाजा खटखटानेकी छूट है। सुप्रीम कोर्टके इतिहासमें एक दो बार ही ऐसा हुआ है, जब सुप्रीम कोर्टकी तरफसे मीडियाके जरिये कोई जानकारी दी गयी है, वरना तो मीडिया ही सुप्रीम कोर्टके फैसलों और सुनवाईकी जानकारी देता है। भारतीय सुप्रीम कोर्टके इतिहासमें जजों द्वारा मीडियासे सीधे संवाद करने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनेका सबसे चर्चित मौका १२ जनवरी २०१८ को आया था। सुप्रीम कोर्टके चार वरिष्ठ न्यायाधीशों जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारतीय न्यायिक इतिहासमें यह पहला अवसर था जब वर्तमान जजोंने इस तरह मीडियाको संबोधित किया था। इन जजोंने तबके मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रके खिलाफ रोस्टर और प्रशासनिक कामकाजको लेकर सार्वजनिक सवाल उठाये थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकांश जानकारी और फैसले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों, अपनी वेबसाइट और सुनवाईके जरिये ही साझा करता है। हालके दौरमें अदालतने न्यायिक कार्यवाहीके लाइव-स्ट्रीमिंग और उसके डिजिटल क्लिप्सके कमर्शियल इस्तेमालको लेकर भी कड़े नियम तय किये हैं। सीजेआई सूर्यकांतने मीडियाके सामने स्पष्ट किया था कि मुझे कल बैठकके अनुरोधके संबंधमें एक पत्र मिला था। मैंने कल रात ही उसका जवाब दे दिया था, जिसमें उन कारणोंका उल्लेख किया गया था कि मैं क्यों नहीं मिल पाऊंगा। सीजोईने आगे कहा, सुप्रीम कोर्टके दरवाजे सभीके लिए खुले हैं।

किसी भी आम नागरिक या निर्वाचित निकायके सदस्यकी किसी भी याचिकाका स्वागत है। हर भारतीय नागरिकको अदालतका दरवाजा खटखटानेका अधिकार है। हम उनकी चिन्ताओंको सुनेंगे और कानूनके तहत जो भी उचित होगा, वह करेंगे। सुप्रीम कोर्टसे स्थिति स्पष्ट होनेके बाद इंडिया गठबंधनके दलोंके पास अपनी मांगोंको लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनानेका एक ही रास्ता बचा था, वह था रिट याचिकाके जरिये न्याय का तकाजा। इंडिया गठबंधनके नेताओंने सुप्रीम कोर्टतक पैदल मार्च निकाला और रिट याचिका दायर की, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत ११ विपक्षी नेता याचिकाकर्ता हैं। इसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारको पार्टी बनाया गया है। दरअसल इससे पहले सीजेआईसे अकेले ही मुलाकातकी मांग करके कांग्रेसने यह साबित करनेकी कोशिश की थी, इंडिया गठबंधनका नेतृत्व वही करती है। बाकी सब उसके पीछे हैं, किन्तु सीजेआई द्वारा मिलनेसे इनकार करनेसे कांग्रेसको अपने दावमें सफलता नहीं मिल सकी। जब सीजेआईने मिलनेसे इनकार कर दिया और कानूनी तरीका अपनानेकी सलाह दी, तब गठबंधनके बाकी नेताओंको भी साथ लेकर याचिका दायर की गयी। सुप्रीम कोर्टने जाहिर कर दिया कि गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक तरीकेसे इंडिया गठबंधनके नेताओंके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा। जो भी करेगा संविधानके दायरेमें करेगा, अन्यथा सुप्रीम कोर्टकी साखपर भी बट्टा लग सकता है।

यह भी निश्चित है कि कांग्रेस और विपक्षी दलोंको कोई खास सफलता सुप्रीम कोर्टसे हाथ नहीं लगने वाली, सिवाय एसआईआरमें कुछ प्रशासनिक आदेश निर्देशके, क्योंकि ज्ञानेश कुमारको हटाया नहीं जा सकता, उन्हें संविधानका संरक्षण प्राप्त है। केवल संसदमें महाभियोगके जरिये ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको हटाया जा सकता है, वह इसलिए पूरा नहीं होगा कि संसदमें मोदी सरकारका बहुमत है। इससे पहले भी राजनीतिक इरादोंको पूरा करनेके विपक्षी दलोंके मंसूबोंपर सुप्रीम कोर्ट पानी फेर चुका है। नवम्बर २०२४ में सुप्रीम कोर्टने देशमें चुनावोंमें धांधलीका आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिकाको खारिज कर दिया था। पीठने कहा था कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएमसे छेड़छाड़ नहीं होती। जब आप चुनाव हार जाते हैं तो छेड़छाड़ हो जाती है। कोर्टने याचिकाकर्तापर तीखा व्यंग्य करते हुए पूछा कि ये याचिका दायर करने संबंधित आपको शानदार विचार कैसे मिला। इसी तरह सुप्रीम कोर्टने अप्रैल २०२३ में १४ विपक्षी दलोंकी सीबीआई और ईडीकी काररवाईके लिए नेताओंके लिए अलगसे गाइडलाइंस बनानेके निर्देश देनेसे इनकार कर दिया था। कोर्टने कहा था कि विपक्षी नेताओंके खिलाफ ईडी और सीबीआईके ज्यादा केस दिखाने वाले आंकड़ोंके आधारपर केवल नेताओंके लिए गाइडलाइनकी मांग नहीं कर सकते हैं। उन्हें अभियोजनसे कोई छूट नहीं मिलती है। कोर्टने कहा कि नेता आम नागरिकोंके बराबर ही होते हैं। इसके बाद कोर्टने याचिकाको वापस लेनेकी अनुमति दे दी। राजनीतिक दलोंके मामलेमें दूरी बनाये रखनेके सुप्रीम कोर्टके नजरियेसे साफ है कि इंडिया गठबंधनको अपने राजनीतिक मुद्दोंकी लड़ाई जनताकी अदालतमें लड़नी होगी। सत्ता किसे देनी है और किसे नहीं, इसका फैसला मतदाता ही करेंगे।

सीजेआई सूर्यकांतने स्पष्ट किया कि संवैधानिक व्यवस्थाके तहत सुप्रीम कोर्ट, प्रशासनिक स्तरपर सरकारके कामकाजमें दखल नहीं दे सकता, हालांकि नेताओंको अपने मौलिक अधिकारोंकी रक्षाके लिए न्यायिक पक्षमें अदालतका दरवाजा खटखटानेकी छूट है। सुप्रीम कोर्टके इतिहासमें एक दो बार ही ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्टकी तरफसे मीडियाके जरिये कोई जानकारी दी गयी है। अक्सर मीडिया ही सुप्रीम कोर्टके फैसलों और सुनवाईकी जानकारी देता है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जजों द्वारा सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनेका सबसे चर्चित मौका १२ जनवरी २०१८ को आया था।

मामूली अपराधकी सजा मृत्युदण्ड?

पिछले सप्ताह सऊदी अरबमें दो बंगलादेशी नागरिकोंको बिना किसी गहन न्यायायिक विचारणके ही मृत्यदण्ड दे दिया गया। इसे फांसी या मृत्युदण्ड कहना समझमें नहीं आता। यह सीधे राज्य प्रायोजित हत्या है।

❑ हृदयनारायण दीक्षित

मनुष्य हजारों वर्षसे समाज बनाकर चल रहा है। इसीलिए मनुष्यको सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। समाज का निर्माण सौ-दो सौ साल पुरानी घटना नहीं है। मनुष्यने समाज रचा। समाजके सदस्योंने अपने लिए आचार संहिता बनायी। प्राचीन कालमें स्वयं अपनी गढ़ी आचार संहिताको लेकर उसने समाजका संचालन किया। सामाजिक अनुबंध सिद्धांतके जन्मदाताओंमें हॉब्सका नाम बहुत पुराना है। उन्होंने लिखा है कि प्रारम्भमें व्यवस्था अराजक थी। उन्होंने इसे प्रकृतिकी स्थिति माना। अनुमान है, उन्होंने उसी अराजक व्यवस्थासे मुक्त होनेके लिए एक सामान्य शपथपत्र या एफिडेविट दोहराया होगा। हॉब्सके ग्रंथ 'लेवियाथन' में शपथपत्रमें लिखा गया है, मैं अपने ऊपर शासन करनेका अधिकार इस एक मनुष्य या मनुष्योंकी इस सभाको देता हूं और इसे अधिकृत करता हूं, इस शर्तपर कि तुम भी अपने ऊपर शासन करनेका अधिकार इसी मनुष्य या मनुष्योंकी इस सभाको अर्पित करो। इसके सभी कार्योंको इसी रूपमें स्वीकार करो। समाजके जन्म और विकासका अध्ययन करने वाले अधिकांश विद्वानोंने समाजके जन्मके संदर्भमें लगभग यही विचार व्यक्त किये हैं। उत्तर वैदिक कालमें कथा है कि समाजकी दशा अराजक हो गयी थी। अराजकतासे पीड़ित लोग मनुके पास गये। उन्होंने मनुसे शासक हो जानेकी प्रार्थना की। मनुने इनकार किया। इस काममें एकत्रित सभी लोगोंने प्रस्तावित शासक-प्रजाको खेती की उपजका एक भाग देते रहने और आज्ञा मानते रहनेका आश्वासन दिया। मनु शासक बननेको तैयार हो गये।

समाजमें शांति व्यवस्था बनाये रखनेका काम नेशन स्टेटका होता है। शासन व्यवस्थाके संचालनमें सबसे खास बात है दण्ड। दण्ड देनेकी व्यवस्थाके चलते अपराध घटते बढ़ते रहे। देश कालके अनुसार दण्डका स्वरूप भिन्न-भिन्न तरहका था। गुप्त शासकोंके शासनमें उच्च कोटिकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उस समय भारतीय दण्ड व्यवस्थाके कानून भी सरल और उदार थे। अपराधोंकी गुणताके आधारपर दण्ड दिया जाता था। प्राण दण्ड नहीं दिया जाता था। चीनी यात्री फाह्यानने यहांके शासनकी प्रशंसा की है। भिन्न-भिन्न राजाओं, तानाशाहों, बादशाहोंने अपने अपने ढंगसे दण्ड व्यवस्थाको लागू करनेका उपक्रम किया है। दण्ड कई प्रकारके होते हैं। लेकिन प्राणदण्ड हमेशा ही बहसका मुद्दा रहा है। प्राण प्रकृतिका उपहार हैं। शान्ति व्यवस्था बनाये रखनेके लिए शासक अर्थदण्ड, कारागार जैसे दण्ड देते रहे हैं। भारतके राष्ट्रजीवनमें प्राणदण्डको अच्छा नहीं माना जाता। प्राणदण्ड वैसे भी बहसका विषय है। एक पक्ष चाहता है कि प्राणदण्ड न दिया जाय। दूसरा पक्ष आतंकवादी घटनाओं जैसे अपराधोंमें प्राणदण्ड देनेको पक्षधर है। लेकिन मनुष्यका जीवन प्रकृतिका असाधारण उपहार है। दुनियाके ११२ देश अपने यहां प्राणदण्डकी व्यवस्था खत्म कर चुके हैं। जान पड़ता है कि इसीके समानांतर सऊदी अरब, कुवैत, कतर आदि देशोंमें प्राणदण्डकी घटनाएं बढ़ रही हैं। भारतकी स्थिति अलग है। यहां संविधान (अनुच्छेद २१) में साफ-साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्तिको विधिक कार्यवाहीके बिना प्राण और दैहिक स्वतंत्रतासे वंचित नहीं किया जायगा। जहां भारतमें दण्डात्मक कार्यवाहीके प्रयोगमें अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है, वहीं पिछले सप्ताह सऊदी अरबमें दो बंगलादेशी नागरिकोंको बिना किसी गहन न्यायायिक विचारणके ही मृत्यदण्ड दे दिया गया। इसे फांसी या मृत्युदण्ड कहना समझमें नहीं आता। यह सीधे राज्य प्रायोजित हत्या है। फांसी दी गयी। उनके घर वालोंको भी सूचित नहीं किया गया। किसी भी स्तरपर उसका अपराध नहीं बताया गया। दोनों बंगलादेशी थे और रोजगारके सिलसिलेमें सऊदी अरब गये थे। नजरुल इस्लाम और स्वीटी अख्तरको मक्काकी एक मस्जिदमें 'गम्भीर अनैतिक कृत्य' का दोषी बताया था। यह सजा इस्लामी शरिया कानूनके तहत न्यायधीशके विवेकाधिकार (ताजीर) से दी गयी। इस घटनाकी पहलेसे कोई सूचना न मिलनेके कारण बंगलादेश सरकारने सऊदी अरबसे आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है।

अपराधकी गुरुताके अनुसार ही दण्ड दिये जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब, बहरीन, कतर आदिमें अपराधकी गुरुतापर सम्यक विचार नहीं होता। ऐसे देशोंमें इस्लामिक कानून-शरियाके अनुसार किसी भी व्यक्तिका जीवन छीन लिया जाता है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तानमें ईशनिन्दा कानून है। इस्लामिक शरीयामें अल्लाह और उसके पैगम्बर एवं कुरानकी कथित निन्दापर प्राणदण्डका प्राविधान है। पाकिस्तानमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्तिपर ईश निन्दाका आरोप लगाता है। न्यायायिक विचारण होता है और उसे मृत्युदण्ड दे दिया जाता है। बंगलादेशी नागरिकोंके प्राणदण्ड घोषित करने और उसे क्रियान्वित करनेमें अनावश्यक रूपसे जल्दबाजी की गयी है। अंधविश्वासको ही राजधर्म मानना और इसी आधारपर अपने ही नागरिकोंको मारते जाना मानवताके प्रति अपराध है। विश्व स्तब्ध है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ऐसे प्राणदण्ड व्यवस्थाको लेकर असहाय दिखायी पड़ती हैं। यह विषय गम्भीर है। इसपर संयुक्त राष्ट्र सहित सभी मंचोंपर विमर्श करना चाहिए। जीवनका अधिकार मौलिक है। यह मनुष्य प्रदत्त नहीं है। इसपर बहसकी गुंजाइश है। सवाल उठते हैं कि व्यक्तिके मौलिक अधिकारोंकी तरह राष्ट्र राज्यके भी अधिकार क्यों नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारकी आड़में राष्ट्र राज्यके अस्तित्वके लिए ही खतरा बन सकता है। तब राष्ट्र राज्य भी व्यक्तिकी तरह अपनी आत्मरक्षाके लिए यथावश्यक कार्रवाई करेगा। सभी राष्ट्रोंको ऐसे खतरनाक मौकोंपर काररवाई करनेके लिए स्थापित कठोर विधिकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी विधि पारदर्शी हो। आरोपीको अपना स्पष्टीकरण देनेके लिए पर्याप्त अवसर देती हो। दुख इस बातका है कि सऊदी अरबके ताजे मामलेमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

परमात्माका सानिध्य

❑ ओशो

परमात्मामें हम हैं, परमात्मासे बिलकुल दूरी नहीं है। उसीमें पैदा हुए हैं, उसीमें जी रहे हैं तो पता नहीं चलता उसका। वायुमंडलका ही उदाहरण ले लो। चारों तरफसे हम उससे घिरे हुए हैं, क्या उसका अहसास होता है हमें। पता चलता है। नहीं चलता पता। ऐसे ही परमात्मासे हम घिरे हुए हैं, परमात्माका पता नहीं चलता। तो उसकी कृपाका भी पता नहीं चलता। जैसे हम किसीके प्रेममें होते हैं तो वह व्यक्ति आपको सिर्फ फूल लाकर दे तो आपके लिए बहुत बड़ी संपदा हो गयी वह। आपका जीवन ही खिल जाता है। आपका जीवन ही उस फूलकी सुगंधसे भर जाता है और प्रेम जब संबंध बन जाता है तो क्या कुछ नहीं किया जाता एक-दूसरेके लिए। क्या पता चलता है। क्या हम धन्यवादसे भरते हैं। क्या कुछ अहसास हो पाता है फिर। नहीं हो पाता। प्रेममें अहसास हो रहा था कि अगला व्यक्ति हमारे लिए क्या कर रहा है। संबंध बना अहसास खत्म हो गया। हमारे शरीर स्वस्थ है, हम इस संसारमें जी पा रहे हैं भली-भांति। क्या-क्या खजाना दिया है इस शरीरमें प्रभुने। परमात्माका द्वार भी दिया है इसीके भीतर। इसी घटके भीतर, इसी देहके भीतर सब कुछ उसने दे दिया और चैतन्य भी दिया जो कि सब कुछ महसूस करता है। वह अंतर्यामी यहीं बैठा हुआ है आकर और क्या चाहिए तो कितनी बड़ी कृपा है उसकी। हमें क्यों कृपा महसूस नहीं होती, क्योंकि अभी हम भक्त नहीं हुए। भक्ति आयी नहीं है अभी। इसको ऐसे समझो। भक्ति क्या है। कैसे हम परमात्माके कितने-कितने निकट हो गये, कितने हम करीब होते जा रहे हैं परमात्माके यह भक्ति है। हमारी दूरी, हमारा फासला परमात्मासे कम होता जा रहा है। एक बच्चा है वह अपने माता-पिताके पास बड़ा होता है। माता-पिता क्या कुछ नहीं करते बच्चेके लिए। आप सभी माता-पिता हैं, जानते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होकर या उस समय क्या वह धन्यवाद महसूस करते हैं। क्या वह कृपा महसूस करते हैं माता-पिताकी करते हैं क्या। नहीं करते। क्योंकि वह इतने शुरूसे साथ रहते हैं, वहीं जन्म लिया साथ रहते-रहते वह संवेदना ही नहीं है, लेकिन वह अहसास ही नहीं बचा। क्योंकि वह अधिकार मान लेते हैं। ऐसे ही परमात्मामें हम हैं। परमात्मामें हम हैं तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि परमात्मा हमारे लिए क्या कर रहा। कहते हैं कि हर चीजके पीछे कोई न कोई अदृश्य शक्ति छिपी होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते।

प्रसिद्धि पानेके चक्करमें कानूनको चुनौती

❑ रोहित माहेश्वरी

देशमें संघटित अपराध और गैंगस्टरोंकी बढ़ती गतिविधियां कानून-व्यवस्थाके लिए एक चुनौती बन चुकी हैं। हालके महीनोंमें साबरमती जेलमें बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोईके सिंडिकेट और अन्य आपराधिक गिरोहोंने देशके कई राज्योंमें सुरक्षा एजेंसियोंकी नाकमें दम कर रखा है। फिल्म अभिनेताओं, राजनेताओं और व्यापारियोंको निशाना बनाकर सरेआम की जा रही फायरिंग और हत्याकी वारदातोंने शासन-प्रशासनके इकबालपर बड़े सवाल खड़े किये हैं। बीते दिनों बालीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफपर हुआ हमला इसका हालिया उदाहरण है। जो बताता है कि गैंगस्टर कैसे कानून व्यवस्थाको खुलेआम चुनौतियां दे रहे हैं। पहले भी सलमान खान एवं रोहित शेट्टी जैसे सितारे और फिल्म निर्माता गैंगस्टरोंके निशानेपर रहे हैं। जो बताता है कि महाराष्ट्रकी राजधानी मुंबईमें अब भी संघटित अपराध कानून व्यवस्थाके लिए गम्भीर चुनौती बने हुए हैं। यह सराहनीय है कि मुंबई पुलिसकी खुफिया सूचनाओंकी मददसे कोटा रेलवे स्टेशनसे तीन संदिग्ध हमलावरोंको राजस्थान पुलिसने गिरफ्तार कर लिया है। टाइगर श्रॉफकी कारपर गोलीबारीके बाद सबसे पहला सवाल यही था कि क्या बॉलीवुडमें अंडरवर्ल्डका पुराना खौफ लौट रहा है। क्या यह हमला बॉलीवुडमें अंडरवर्ल्डके पुराने खौफकी वापसीका संकेत है या इसे एक अलग घटनाके तौरपर देखा जाना चाहिए।

देशमें कानून-व्यवस्थाके समांतर अपराधकी सत्ता चलाने वाले गिरोहोंका इतिहास पुराना रहा है। बेशक समयके साथ अपराधी संघटनोंके नामकरण और अपराधके तौर-तरीके जरूर बदले हों, लेकिन उनका खौफ गाहे-बगाहे बना रहा। कभी मुंबई हाजी मस्तान और दाऊदसे लेकर छोटे राजनके गैंगवारकी साक्षी रही है। अब वहां नये सिरेसे गैंगस्टरोंका दखल बढ़ रहा है। निस्संदेह, इन मामलोंको महज धमकियों और जबरन वसूली तथा हिंसाकी इक्का-दुक्का घटनाओंके रूपमें नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तवमें ये समाजमें लगातार गहरी होती जाती एक गम्भीर समस्याके लक्षण हैं। यदि समय रहते ऐसे गैंगस्टरोंकी कमर नहीं तोड़ी जाती तो वे समाजमें रक्तबीजोंकी तरह लगातार बढ़ते जायंगे। उनकी प्रतिद्वंद्विताका खामियाजा कालांतर कानून-व्यवस्था बाधित होनेसे समाजको ही भुगतना पड़ेगा।

पुलिसकी शुरुआती जांचसे पता चला है कि इस हमलेके संदिग्ध हमलावरोंमेंसे एकका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गिरोहके कथित साथीसे है। यह उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तरपर सुर्खियोंमें आये लॉरेंस बिश्नोई साल २०१५ से जेलमें बंद है। ऐसेमें सवाल उठता है कि कड़ी पुलिस सुरक्षामें जेलमें बंद लॉरेंस बिश्नोईका नाम गाहे-बगाहे विभिन्न अपराधोंमें संलिप्तताके रूपमें कैसे उछाला जाता है। भारत ही नहीं, उसके साथी यूरोप एवं अमेरिकामें सक्रिय बताये जाते हैं। अमेरिकामें उसे अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर गिरोहके रूपमें चिह्नित किया जाता है। कुछ समय पहले उसके करीबी सहयोगियोंमेंसे एक, करमवीर सिंहको कनाडासे डिपोर्ट किया गया था। पिछले महीने पंजाब पुलिसने उसे गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोईके भाई अनमोलको नवंबर २०२५ में अमेरिकासे डिपोर्ट किया गया था। उसके उपरांत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईएने उसे गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल यह मामला आपराधिक गिरोहों और आतंकी समूहोंके बीच सांठगांठसे जुड़ा बताया जाता है। केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालयने सुरक्षा कारणों और लोक-व्यवस्थाका हवाला देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा ३०३ लागू की है, जिसके तहत लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियोंको गुजरातकी साबरमती जेलसे बाहर ले जाने या मुंबई पुलिसकी प्रत्यक्ष कस्टडीमें देनेपर रोक है। इस वजहसे जांच एजेंसियां केवल जेलके अंदर ही पूछताछ कर पा रही हैं, जिससे बड़ी साजिशोंका पूरी तरह पर्दाफाश करनेमें बाधा आ रही है। विपक्षी दल सरकारपर संघटित अपराधपर लगाम लगानेमें विफल रहनेका आरोप लगा रहे हैं।

गैंगस्टरोंके इस बढ़ते दुस्साहसको कुचलनेके लिए कड़े कानूनी कदम भी उठाये जा रहे हैं। जिसके तहत उत्तर प्रदेश और अन्य राज्योंमें आपराधिक गिरोहोंकी संपत्तियोंको जब्त करने, कड़े जुर्माने और दस-दस सालकी कठोर कारावासकी सजा जैसे कदम उठाये जा रहे हैं। सर्वोच्च अदालत भी गैंगस्टर कानूनोंकी संवैधानिक वैधता और संघटित अपराधोंसे निबटनेके प्रावधानोंकी समीक्षा कर रही है, ताकि पुलिस एवं प्रशासन बिना किसी कानूनी अड़चनके इन असामाजिक तत्वोंपर शिकंजा कस सके।

गैंगस्टरों और अपराधियोंपर पुलिस प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियां लगातार काररवाई कर रही हैं। बावजूद इसके गैंगस्टर अपनी हरकतोंसे बाज नहीं आ रहे। जानकारोंकी माने तो देशमें गैंगस्टरों और संघटित अपराधके बढ़नेके पीछे तकनीक, आर्थिक लालच, बेरोजगारी और सोशल मीडियाका बड़ा हाथ है। आजकल गैंगस्टरों द्वारा किये गये अपराध या धमकियोंको सोशल मीडियापर खुलेआम पोस्ट किया जाता है। इससे कम उम्रके युवाओंमें यह आकर्षण पैदा होता है कि वे जल्दी प्रसिद्ध या 'नायक' बन सकते हैं। कई युवा आर्थिक तंगीके चलते या पैसोंके लालचमें इन गैंग्सके संपर्कमें आ जाते हैं। खासकर पढ़ाई या काम के नाम पर विदेश (जैसे कनाडा आदि) गये या देशके विभिन्न हिस्सोंमें घूम रहे बेरोजगार युवा आसानीसे इनके शूटर या रिक्रूट बन जाते हैं। वहीं आधुनिक गैंग्स पुराने तरीकोंसे हटकर काफी विकेन्द्रीकृत और तकनीकी रूपसे सक्षम हो गये हैं। जेलमें बैठे गैंगस्टर भी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्सके जरिये आसानीसे अपने सिंडिकेट, फिरौती और वारदातोंका संचालन करते हैं। हथियारोंकी तस्करी, नशीले पदार्थों (ड्रग्स) का कारोबार और रियल एस्टेट या जबरन वसूली (फिरौती) से इन्हें अकूत कमाई होती है। इस अवैध नेटवर्कका दायरा स्थानीय स्तरसे बढ़कर अब अंतरराष्ट्रीय स्तरतक फैल चुका है। ये गैंग अपनी अवैध कमाईका बड़ा हिस्सा शेल कम्पनियों, रियल एस्टेट और क्रिप्टोकरेंसीके जरिये मुख्य बैंकिंग सिस्टममें सफेद कर लेते हैं, जिससे इनकी आर्थिक पकड़ मजबूत बनी रहती है। आपराधिक गिरोहोंको कानूनी व्यवस्थाकी खामियोंका लाभ उठानेसे रोकनेके लिए देशके विभिन्न राज्योंके बीच लगातार सहयोग होना जरूरी है। अपराधियोंमें कानूनका डर पैदा करने और जनतामें सुरक्षाकी भावना बहाल करनेके लिए विभिन्न राज्योंकी पुलिसके बीच बेहतर समन्वय और जेलोंकी सुरक्षा व्यवस्थाको तकनीकी रूपसे पूरी तरह अभेद्य बनाना बेहद जरूरी हो गया है।